

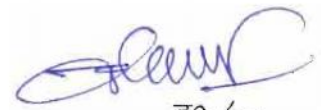
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलंगना में मैगाधार — आली — सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.

की० एम० जी० एन० ४५० + २ न० सेतु)

व० बा० जी० १३ :- सनसाली झरबोड़ी रो० मार्ग कि० मी० १४ है सरुणा कोट-चांजी रो० मार्ग

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.

मीटर) चौड़ाई 450 + 2 न0 सेतु)

के अन्तर्गत नाम :- अनसाली जलोढ़ी जो भाग क्रिया 18 से सुरुवा कोट - चांजी जिला

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

जिलाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

ह0/-
जिलाधिकारी

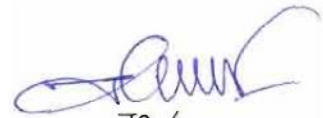
परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

घोषित/अनुमोदित प्रस्ताव

के अन्तर्गत नाम :- घनसाली अल्कोई ग्रेण्डिंग मिल्स की 18 से सरुणा कोट - चांजी ग्रेण्डिंग

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारूप-

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

पी 0 एन 0 जी 0 एन 0 वॉर्ड 0
के अन्तर्गत नाम

:- धनजाली अल्बोड़ी प्रो 0 भा 0 के 0 भी 0 18 से सरुणा को 2 चौड़ी जे 0 म 0

एन 0 पी 0 वी 0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ 0 सी 0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन 0 पी 0 वी 0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-वज़ास श्रेणी.....V.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.3.....
3. एन 0 पी 0 वी 0 की दर प्रति हे०.....657000=०.....
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....4.41 हे०.....
5. कुल देय एन 0 पी 0 वी 0 की धनराशि.....2897370=०.....

प्रतिहस्ताक्षरित


ह 0 /
व क्षेत्र अधिकारी
भिलंगना रेंज घनसाली
टि 0 व 0 प्र 0 नई टिहरी


तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल


प्रमो 0 व 0 ना 0 व 0
प्रमो 0 व 0 ना 0 व 0
नई टिहरी

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौड़ा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

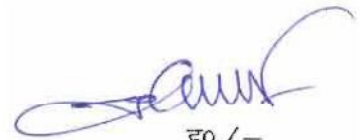
प्रा.सं.सं.जी.०.१२.१०१५०

के अन्तर्गत नाम

:- धनराली अठोड़ी प्रो.भा. वि.सी. 18 ले सरुणा की-चांजी प्रो.भा.

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि को भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न० सेतु)

प्रीमियम की दर

के आसक्ति नाम :- धनसाली अंबोड़ी जो ०००००००००० से सरुणा कोट - चांजी जो ००००००००००

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये.....प्रति हे० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....हे० वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रुपये.....होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेंट प्रीमियम (मूल्य) का.....प्रतिशत की दर से रुपये.....प्रतिवर्ष होता है।

मात्र नही है।


ह०/-
 जिलाधिकारी

प्रारूप—

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार — आली — सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.450 + 2 न0 सेतु)

सि० एम० जी० हतवर्मा

के अन्तर्गत नाम

:- घनसाली अलोड़ी योजना क्रि० न० 18 से सरुणा कोट-चांजी योजना

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि स्थाई वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0 / -

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0 / -

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

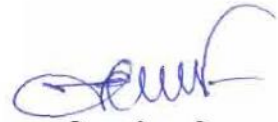
वी० एम० जी० एल० वि० के अन्तर्गत नाम :- जनसाली अलोड़ी ओ०पी० डि०पी० 18 में सरुणा कोट - चांजी मो०पी०

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में प्रस्तावित मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित के नव निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-

1. पहाड कटान का कार्य मार्ग का निर्माण हेतु।
2. रिटेनिंगवाल एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।
3. स्कपर एवं काजवे का निर्माण।
4. कच्ची एवं पक्की नाली का निर्माण।
5. कि०मी० स्टोन, है०मी० स्टोन, एज स्टोन लगाने कार्य।
6. संकेतक बोर्ड लगाने कार्य।


कनिष्ठ अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


सहायक अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली


अधिषासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा फरखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

पि० एच० पी० लम्बाई
के अन्तर्गत नाम :-

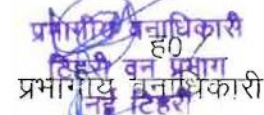
खनसाली अलोड़ी मोन्नाफकिंभीगाड से सरुणा कोट-चांजी मोन्नाफ

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने वाले उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


ह0 /

प्रयोक्ता एजेन्सी


ह0 /
प्रभागीय वन प्रसाग
निर्देश टिहरी

प्रारूप--

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड निलांगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घनातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न० सेतु)

पी० एच० सी० एन० वाई०
के अन्तर्गत नाम :- घनसाली अखोड़ी मोठारा कि०मी० 18 से सरुणा कोट-चांजी मोठारा

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्ररनगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारूप—

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.450 + 2 न० सेतु)

जि० ह० जी० ए० व० वि० के
अन्तर्गत नाम :-

घनसाली अल्बोड़ी जे० भा० कि० जी० ए० से सरुणा की० चौजी जे० भा०

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कुल जन संख्यां	अनुसूचित जाति की जनसंख्यां
1	Karkheri	720	404
2	Chaura	223	58
3	Mundethi	320	0
4	Ali	178	0
5	Sarun May Badiyar	430	77
6	Kot	231	41
7	Bhargaon	313	0
8	Ganwari	503	166
9	Chanji Talli	538	299
10	Chanji Malli	638	104
	TOTAL	4094	1149



ह० /

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारूप-

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घण्पातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.450 + 2 न0 सेतु)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा। वन भूमि की लम्बाई -6.300 कि0मी0

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु0 में)	धनराशि (रु0 में)
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	190	1	0.5	0.7	66.50	घनमीटर	226.70	15075.55
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना 3 कि0ग्राम प्रति पिलर	190	-	-	-	60.00	कि0ग्राम	60.00	3600.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	190	1	0.5	0.1	9.50	घनमीटर	7590.10	227854.80
		190	0.3	0.3	1.2	20.52			
					Total	30.02			
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिखा क़य करना	1 x 1	30.02	78.5	1%	23.57	कुन्तल	7150.00	168494.76
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4 x 190	0.3	-	1.2	273.60	वर्गमीटर	163.00	47384.10
		1 x 190	0.3	0.3	-	17.10			
					Total	290.70			
6	पिलर पर चूना करना, पिलर संख्या व वन विभाग का नाम लिखना	190				20.00	संख्या	200.00	4000.00
7	पानी की ढुलाई आदि	190				20.00	ल0स0	500.00	10000.00
							TOTAL		476409.21
							SAY		476409.00

वन विभाग अधिकारी
भिलंगना रेंज बनसाली
टिहरी नई टिहरी

नहरसिंह दार
बनसाली
टिहरी गढ़वाल

प्रतिष्ठित

वन विभाग अधिकारी
नई टिहरी

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य के निर्माण कार्य। (लम्बाई- 10.450 + 2 न० सेतु)

आरक्षित वन भूमि 0.770 है०

वन पंचायत 0.000 है०

सिविल सोयम वन भूमि 3.640 है०

नाप भूमि 3.375 है०

योग 7.785 है०

2	प्रस्तावित विभाग का नाम	अ०ख०,लो०नि०वि०, घनसाली, मुख्यालय घुमेटीधार
3	वन प्रभाग का नाम	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग घनसाली
4	प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है	हाँ/नहीं
5	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।	हाँ/नहीं
6	क्या भारत सरकार के प्रारूप के नाम 1,2 व 3के स	हाँ/नहीं
7	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	हाँ/नहीं
8	प्रभावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।	हाँ/नहीं
9	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पर संलग्न है।	हाँ/नहीं

10. बाँज प्रभावितियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षक प्रमाण पत्र संलग्न है।

हाँ/नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।

हाँ/नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न हैं।

हाँ/नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व रही है।

घनत्व सही है।

हाँ/नहीं

14. क्या क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।
हाँ/ नहीं

15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की दर्शाया गया है। हाँ/नहीं

16. प्रस्तावित माग्न के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
हाँ/नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र अन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर अस्कोट मिर्ग बिहार का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं

19. क्या प्रस्ताव क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। हाँ/ नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनायसा जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है।
हाँ/नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
हाँ/नहीं

23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। हाँ/नहीं

24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ/नहीं

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएँ / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।
हाँ / नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों की निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जायें) हैं/नहीं

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
हाँ/नहीं

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है हाँ / नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। हाँ/नहीं

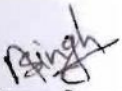
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित है। हाँ/नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं हाँ/नहीं

34. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है। हाँ/नहीं



कनिष्ठ अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली



सहायक अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली



अधिषासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली